राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 (10) लेखा / निकाशि / दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो. रा.यो. / स्कूटी क्रय / 2013-14 / 1475 दिनांक 5/9/13

M/s. TVS Motor Company Ltd.
Post Box No. 4,
Harita Hosur-635109
TAMILNADU.

विषय :- टी.वी.एस. स्कूटी पेप + डी.जी.एस. एण्ड डी रेट कान्ट्रेक्ट पर आपूर्ति बाबत।

संदर्भ :- DGS & D rate contrat No. Motorcycle/CH-3/Rc-28030000/1112/187/05834/228 dt. 21-01-2011 valid period from 21-01-2011 to 31-01-2013 तथा कम्पनी के संस्थागत सैल्स मैनेजर श्री अमन सिसोदिया के उक्त दर पर सहमति पत्र दिनांक 26.07.2013

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रांकों के क्रम में लेख है कि देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के तहत डी.जी.एस. एण्ड डी की अनुमोदित दरों पर एवं संस्थागत सैल्स मैनेजर श्री अमन सिसोदिया के पत्र दिनांक 26.7.2013 के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर वर्ष 2012-13 में शेष रही 210 (दौ सौ दस) स्कूटी पेप का आपूर्ति आदेश प्रति स्कूटी राशि रूपये 34,700.49 (चौतीस हजार सात सौ रूपये व उन्नचास पैसे मात्र) की दर से स्वीकृत की जाती है। स्कूटियों की आपूर्ति निम्नानुसार की जावें :-

1. आईटमः- टी.वी.एस. स्कूटी पेप +
2. स्कूटियों की संख्याः- 210 (दौ सौ दस)
3. प्रति स्कूटी मूल्य राशिः- 34,700.49 रुपये
4. पूर्व में कम्पनी ने एक हजार स्कूटी के पेटे नौ सौ छियानवें स्कूटियां ही सप्लाई की थी । इस तरह कम्पनी के पास चार स्कूटी का भुगतान पूर्व में ही जमा है । अतः कम्पनी को दौ सौ छः स्कूटी का भुगतान प्रति स्कूटी दर रू. 34700.49/- से (रूपये 71,48,300.90) अक्षरे राशि रूपये 71,48,301 (राशि रूपये इक्हत्तर लाख अडतालीस हजार तीन सौ एक मात्र) देय बनती है ।
5. कुल राशि (रूपये 71,48,300.90) अक्षरे राशि रूपये 71,48,301 (राशि रूपये इक्हत्तर लाख अडतालीस हजार तीन सौ एक मात्र)
6. कुल राशि रूपये 71,48,301/- का 98 प्रतिशत अग्रिम (रूपये 70,05,334.90/-) अक्षरे राशि रूपये 70,05,335/- (रूपये सत्तर लाख पांच हजार तीन सौ पैतीस मात्र) - शेष 02 प्रतिशत राशि का भुगतान स्कूटियों की आपूर्ति बाद किया जावेगा।
7. आपूर्ति स्थानः- छात्रा के अध्ययनरत राजकीय महाविद्यालय राजस्थान में देनी होगी। (स्वीकृत सूची संलग्न है)
8. आपूर्ति अवधिः- स्कूटियों की आपूर्ति अतिशीघ्र एवं डी.जी.एस. एण्ड डी के नियम सम्मत की जावें।
9. आपूर्ति के समय स्कूटी में 02 (दो) लीटर पेट्रोल होना चाहिये।
10. उक्त क्रय आदेश डी.जी.एस. एण्ड डी की अनुमोदित दरों एवं नियम तथा शर्तो के तहत दिया जाता है।

(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांक एफ 23 (10) लेखा / निकाशि / दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो. रा.यो. / स्कूटी क्रय / 2013-14 / 1476-83 दिनांक 5/9/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार , निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग सचिवालय , जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी / छात्रवृत्ति) निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
7. स्टोर प्रभारी / स्टोर कीपर, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
8. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर लेख हे कि प्राप्त स्कूटियों का जिला पूल के तकनीकि कार्मिक से निरीक्षण करा कर, रजिस्ट्रेशन तथा एक वर्ष का बीमा अपने स्तर पर करावे। प्राप्त स्कूटियों की स्टॉक एन्ट्री कर के छात्रा को सुपुर्द कर उनसे प्राप्ति रसीद लेकर, उस पर छात्रा के पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर करा कर, अपने प्रतिहस्ताक्षर कर रिकार्ड में रखे तथा उसकी एक प्रमाणित फोटो प्रति इस कार्यालय को भिजवाये। यह सुनिश्चित कर लेवे कि छात्रा आपके महाविद्यालय में वर्ष 2012-13 में स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत रही है।

(डॉ. सी. एम. खटीक)
संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)

कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 (09) लेखा / निकाशि / दे.छा.स्कूटी.वि.एवंप्रो. रा.यो. / क्रय / 2013–14 / 1484 दिनांक 5/9/13

आदेश

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना अन्तर्गत विशेष पिछड़े वर्ग की, राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत शेष रही छात्राओं को वर्ष 2012–13 के लिये स्कूटी वितरण हेतु मैं. टीवीएस मोटर कम्पनी लिमिटेड, पोस्ट बोक्स नं. 4, हरिता होसूर,–635109, तमिलनाडू को विभाग के पत्र क्रमांक एफ 23 (10) लेखा / निकाशि / दे.छा.स्कूटी.वि.एवं प्रो.रा.यो. / 2013–14 / 1475–83 दिनांक 5/9/13 द्वारा डी.जी.एस. एण्ड डी की अनुमोदित दरों पर तथा नियम, शर्तों, गारन्टी–वारन्टी के अध्यधीन स्वीकृत संलग्न सूची के अनुसार 210 (दो सौ दस) स्कूटियों का आपूर्ति आदेश दिया गया है। कम्पनी के संस्थागत सैल्स मैनेजर, गुजरात अम्बूजा कॉम्पलेक्स, झोटवाड़ा, औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर–12 द्वारा दिनांकः 26.7.2013 से पूर्व में डी.जी.एस. एण्ड डी. की अनुमोदित दर पर दी गई सहमति अनुरूप प्रति स्कूटी दर रु. 34,700.49 / – (रुपये चौतीस हजार सात सौ व पैसे उन्नचास मात्र) से दो सौ दस स्कूटियों का क्रय मूल्य राशि रु. 72,87,103 / – (रुपये बहत्तर लाख सत्यासी हजार एक सौ तीन मात्र) देय बनती है। पूर्व में कम्पनी ने एक हजार स्कूटी के पेटे नौ सौ छियानवें स्कूटियां ही सप्लाई की थी । इस तरह कम्पनी के पास चार स्कूटी का भुगतान पूर्व में ही जमा है । अतः कम्पनी को शेष दो सौ छः स्कूटी का भुगतान प्रति स्कूटी दर रू. 34700.49 / – से (रूपये 71,48,300.90) अक्षरे राशि रुपये 71,48,301 (राशि रूपये इक्हत्तर लाख अडतालीस हजार तीन सौ एक मात्र) देय होता है ।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 26 एवं भाग तृतीय में दी गयी शक्तियों के प्रत्यायोजन के आईटम संख्या 29 के अन्तर्गत फर्म को कुल भुगतान योग्य राशि 71,48,301 / – (रुपये इकहत्तर लाख अडतालीस हजार तीन सौ एक मात्र) का 98 प्रतिशत राशि (रूपये 70,05,334.90 / –) अक्षरे राशि रूपये 70,05,335 / – (रुपये सत्तर लाख पांच हजार तीन सौ पैतीस मात्र) अग्रिम भुगतान करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। शेष 02 प्रतिशत राशि का भुगतान टी.वी.एस. स्कूटी पेप + की आपूर्ति तथा सन्तोषप्रद निरीक्षण रिपोर्ट बाद किया जावेगा।

स्वीकृत राशि का भुगतान सत्र 2013–14 में निम्न बजट मद से किया जावेगा।

आयोजना

2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
03–पिछड़े वर्गों का कल्याण
196– जिला परिषद् / जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता
(13)–देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)
[03]–देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना
12–सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)

(नवीन जैन)
निदेशक
कॉलेज शिक्षा विभाग, राज., जयपुर

क्रमांक एफ 23 (09) लेखा / निकाशि / दे.छा.स्कूटी.वि.एवंप्रो. रा.यो. / क्रय / 2013–14 / 1485–97 दिनांक 5/9/13
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
4. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय सचिवालय, जयपुर।
7. लेखाधिकारी उच्च शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग सचिवालय , जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी / छात्रवृत्ति) निदेशालय शिक्षा, जयपुर।
9. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
10. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
11. नोडल अधिकारी, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना निदेशालय, जयपुर।
12. स्टोर प्रभारी / स्टोर कीपर, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. सी. एम. खटीक)
संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)
कॉलेज शिक्षा विभाग राज.जयपुर